

## सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

### केन्द्रीय योजनाएं

#### 1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme)

##### उद्देश्य

वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

##### पात्रता

60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार का सदस्य हो।

##### सहायता

- 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के पेंशनरों को ₹ 700 प्रतिमाह (₹ 200/- केन्द्रीय हिस्सा तथा ₹ 500 राज्य हिस्सा)
- 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को ₹ 1250/- प्रतिमाह (₹ 500/- केन्द्रीय हिस्सा तथा ₹ 750 राज्य हिस्सा)

## 2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

### (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme)

#### उद्देश्य

विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

#### पात्रता

- 18 से 79 वर्ष के विकलांग व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार का सदस्य हो।
- ऐसे विकलांग अव्यस्क बच्चें जिन्हें "व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, एवं पूर्ण भागीदारी)" अधिनियम 1995 की धारा 2 के अर्न्तगत अपंगता की परिभाषा के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक गम्भीर अपंगता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

#### सहायता

₹ 1250/- प्रतिमाह (₹ 300/- केन्द्रीय हिस्सा तथा ₹ 950/- राज्य हिस्सा)

## इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

### (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme)

#### उद्देश्य

विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

40 से 79 वर्ष की आयु की विधवा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार का सदस्य हो।

#### सहायता

₹ 700/- प्रतिमाह (₹ 300/- केन्द्रीय हिस्सा तथा ₹ 400/- राज्य हिस्सा)